तारीख हुक्म		की तामीलमेंजा
1/6/20	वकील प्रार्थी उप० पूर्वानुसार हड़ताल की वजह पत्रावली दि० 11/5/20 को पेश हो।	
11/5/20	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ कोरोना वायरस के कारण पूर्वानुसार वास्ते तलबी दिनांक 29/6/20 को पेश हो।	
24/6/20	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ Covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते तलबी दिनांक 17/8/20 को पेश हो।	
17/8/20	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते तलबी दिनांक 25/8/20 को पेश हो।	
25/8/20	वकील फरीकैन उप० । प्रार्थनापत्र पर केवल वकील प्रार्थी उप० । अप्रार्थी सं. 17 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये हैं इसलिए इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29/9/20 को पेश हो।	
29/9/20	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 3/11/20 को पेश हो।	
3/11/20	वकील प्रार्थी उप० बहस प्रार्थी एक-पक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2/12/20 को पेश हो।	
2/12/20	वकील प्रार्थी उप० प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।	

Scanned with DocScan

र व तार्ई
ग्रामजोइस्त
की
रामेंजारीहु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 प0	ता0दायरा	ता0निर्णय
44 / 17	अस्थायी निषधाज्ञा	03.11.17	02.12.2020

रामदयाल पुत्र नथुआ आयु 42 साल जाति कोली निवासी भैरोंपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

01. प्रहलाद ।
02. रामनारायण ।
03. हाबूल्या । पि0 सुगन
04. चिरंजी ।
05. कल्लू ।
06. सुरेश ।
07. प्रकाश । पि0 रामनारायण
08. दूआरीलाल ।
09. भूरा । पि0 प्रहलाद
10. राजाराम पुत्र हाबूल्या
11. कुमेर पुत्र हाबूल्या
12. मुकेश पुत्र चिरंजी
13. दुलारी पत्नि प्रहलाद
14. दिनेशी पत्नि दुआरीलाल
15. सरूपी पत्नि कल्लू
16. गीता पत्नि सुरेश
17. सुनीता पत्नि प्रकाश
18. केशर पत्नि राजाराम
19. पिंकी पत्नि कुमेर
20. फोरन्ती पत्नि मुकेश
21. ममता पत्नि भूरा
22. कम्पूरी पत्नि हाबूल्या सभी जातिगण मीना निवासी भैरोंपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
23. लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट</u>

उपस्थितः— श्री कमरपाल मीना वकील वादी।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 29/1 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम भैरोंपुरा तहसील सपोटरा प्रार्थी की सेपरेट खातेदारी की है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई किसी प्रकार का तालोकात नही है। दिनांक 11.10.2017 को प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी मे सरसों की बुवाई करने गया तो अप्रार्थी सं0 1 ता 23 आमी मे लाठी व गंडासी लेकर मारने पर आमादा हो गये तथा एलानिया धमकी देने लगे कि तेरी खातेदारी मे जबरन लट्ठ के बल पर फसल काश्त करके रहेगें। अप्रार्थी सं0 1 ता 23 लट्ठ

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with DocScan

वाले व लड़ाकू किस्म के व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं० 1 ता 22 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसिलए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं० 23 का प्रकरण मे राज्य हित प्रभावित नही होने के कारण जवाब अपेक्षित नही है।

बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी जाकर उस पर गनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबंदी फोटोप्रति ग्राम भैरोंपुरा तहसील सपोटरा सम्बत् 2072—75 के अनुसार प्रार्थी खसरा नं0 29/1 रकबा 05 बीघा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसमे अप्रार्थीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 03.11.2017 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम भैरोंपुरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 29/1 रकबा 05 बीघा मे प्रार्थी की खातेदारी की आराजी मे किसी प्रकार की दखनदाजी व मजामहत ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे। निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with DocScan